| क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

**जमाबंदी रद्द वाद सं0 39/2015–16**

ओम प्रकाश राम प्रति पार्वती देवी

**आदेश**

22.03.22

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा जमाबंदी में दर्ज नाम को हटाने हेतु मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्राप्त मूल अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर एवं कागजात दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मूल अभिलेख अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा विपक्षी के नाम निर्गत लगान रसीद को मांग पंजी 2 में गलत प्रवृष्टि को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में भेजा गया है। जो मौजा जंगीपुर के खाता सं0 64 प्लौट सं0 1000 एवं 1004 रकबा 10डीसमील भूमि से संबंधित है। वास्तविकता यह है कि यह भूमि स्व0 डोमन राम की थी उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी फुलमति कुंवर ने उक्त भूमि को केवाला सं0 2432 दिनांक 13.11.2009 से आवेदिका सुमन देवी वो सरस्वती देवी के हाथों केवाला कर दिया गया जिसकी लगान रसीद नामांतरण होकर सुमन देवी वो सरस्वती देवी के नाम से कटते चली आ रही है। बिना अभिलेख संधारित किये एवं बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के मिली भगत से हल्का कर्मचारी ने विपक्षी का नाम मांगपंजी 2 में जोड़कर लगान रसीद निर्गत कर दिया जो विवाद्द का कारण है। प्रश्नगत् भूमि के प्लौट सं0 1000 में आवेदिका का मकान वो कुआँ स्थित है जो आवेदिका के दखल कब्जे को प्रमाणित करता है। विपक्षी पार्वती देवी की शादी सिलीदाग थाना रमना निवासी मुरली राम से हुई है जिन्हेंने इस भूमि में कोई हक वो अधिकार नहीं है। आवेदिका ने पूर्व में अपर समाहर्त्ता गढ़वा के यहाँ आवेदन दी की जिसपर मांग रद्द करने की कार्रवाई के बजाय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 144 द.प्र.सं0 की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया था। जो बाद में समाप्त कर दिया गया। पुनः आवेदिका ने विपक्षी का नाम मांगपंजी 2 से हटाने हेतु अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र दी जो विधिवत जाँचोंपरान्त विपक्षी का नाम गलत पाकर उसे हटाने हेतु अभिलेख अनुसंशा के साथ इस न्यायालय को भेजा गया है। न्यायहीत में विपक्षी का नाम मांग पंजी 2 से विलोपित करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदिका का जबाव सह लिखित वहस स्वीकार कर विपक्षी का मांगपंजी 2 से

लगातार .....



Scanned with CamScanner

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | कार्यालय टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

विलोपित करने की कृपा किया जाय। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्नवत् हैः–

1. *लगान रसीद की छायाप्रति* ..... *23 फर्द*
2. *लगान निर्धारण की छायाप्रति* ..... *1 फर्द*
3. *लगान रसीद नामे सुमन देवी की प्रति* ..... *2 फर्द*
4. *केवाला की छायाप्रति* ..... *8 फर्द*
5. *मांगपंजी 2 का छायाप्रति* ..... *1 फर्द*
6. *अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक 784 की प्रति* ..... *1 फर्द*
7. *अंचल अधिकारी, नगर उंटारी क पत्रांक 304 की प्रति* ..... *1 फर्द*

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात निम्नप्रकार है :–

1. *फॉरम नं0 562 के आदेश पत्रक की छायाप्रति* ..... *10 फर्द*
2. *लगान निर्धारण की छायाप्रति* ..... *1 फर्द*
3. *विविध वाद सं0 476 धारा 144 की प्रति* ..... *4 फर्द*
4. *हाल सर्वे खतियान खाता सं0 341 की छायाप्रति* ..... *5 फर्द*
5. *हाल सर्वे खतियान खाता सं0 342 की छायाप्रति* ..... *4 फर्द*

इस न्यायालय के पत्रांक 538/रा0, दिनांक 31.12.2016 से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के पत्रांक 47 दिनांक 21.01.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम जंगीपुर के मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 158/1 पर डोमन कहार के नाम से खाता सं0 64 प्लौट सं0 1000, 1004 कुल रकबा 10डीसमील भूमि का मांग बंन्दोबस्ती के पश्चात् कायम किया गया था। गत सर्वे खतियान में यह भूमि गैरमजरूआ मालिक खाते की थी। मांगपंजी 2 में वर्ष 1970–71 से मांग दिखाया गया है, जिसका पंजी 2 का फोटो प्रति संलग्न है। पंजी 2 पुराना हो जाने पर यह मांग पंजी 2 के पृष्ट संव 120/5 पर दर्ज किया गया। उक्त जमाबंदी में कामेश्वर दूबे राजस्व कर्मचारी (सेवानिवृत) द्वारा वर्ष 2009–10 में जानकी कहार का नाम चढ़ाकर रसीद निर्गत कर दिया गया। यह नाम बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं केश नम्बर के बिना चढ़ा दिया गया है। नाम चढ़ा दिए जाने के कारण जानकी कहार के पुत्री पार्वती देवी पति मुरली राम के द्वारा प्लौट सं0 1004 में अवैध रूप से कब्जा किया गया एवं निर्माण कार्य किया जाने लगा। हाल सर्वे खतियान मे यह खाता सं0 341 अनावाद झारखण्ड सरकार के नाम पर दर्ज हुआ है। इसमें दखल कब्जा डोमन कहार एवं जानकी कहार दोनों का दिया गया है। चूँकि पूर्व से मांग डोमन कहार के ही नाम पर चलता था, एवं बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के इसमें जानकी कहार का नाम जोड़ दिया गया है। अतः डोमन कहार एवं जानकी कहार के नाम से चल रहे मांग में से जानकी कहार का नाम को हटाकर डोमन कहार के नाम पर किया जा सकता है।

लगातार .....



Scanned with CamScanner

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं की ओर से दी गई आवेदन पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा दी गई दस्तावेज का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष के द्वारा स्वयं अपने या अपने अधिवक्ता माध्यम से पैरवी नहीं कराई गई। द्वितीय पक्ष लगातार निर्धारित तिथि को अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को इस वाद से कोई रूचि नहीं है।

अंत. अंचल अधिकारी के पत्रांक 47 दिनांक 21.01.2017 द्वारा योग प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जानकी कहार का नाम अवैध रूप से राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही दर्ज कर दी गई है। अवैध तरीका से मांग पंजी 2 में जानकी कहार का नाम दर्ज की गई है। इस संबंध में अंचल अधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख प्राप्त है। जानकी कहार का जमाबंदी मांगपंजी 2 में अवैध रूप से चल रहे मांग को स्थगित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजे।

हस्ताक्षरित एवं संशोधित।

22/11

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

22/11

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.11 16:54:31 +05:30
Location: 192.168.1.41



Scanned with CamScanner